2021 का विधेयक संख्यांक 18.

[दि कांस्टीट्यूशन (शिडयूल्ड कास्ट्स) ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद ।]

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची को उपांतरित करने हेतु और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2021 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का संशोधन ।

2. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 16 – तमिलनाडु में— सं.आ.19

(क) प्रविष्टि 17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"17. देवेन्द्रकुला वेलालर [देवेन्द्रकुलथन, कडड्यन, (तिरुनेलवेली, तूतुकुड़ी, रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई, तंजावूर, तिरुवारुर और नागपट्टीनम जिलों के तट्टवर्ती क्षेत्रों को छोड़कर), कल्लादि, कुडुम्बन, पल्लन, पन्नाडी, वातिरैयान्]";

(ख) प्रविष्टि 26 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"26. कडड्यन (तिरुनेलवेली, तूतुकुड़ी, रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई, तंजावूर, तिरुवारुर और नागपट्टीनम जिलों में)";

(ग) प्रविष्टि 28, 35, 49, 54 और 72 का लोप किया जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) उपबंधों के अनुसरण में, विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जातियों को विनिर्दिष्ट करते हुए छह राष्ट्रपतीय आदेश जारी किए गए थे । इन आदेशों को संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (2) के अधीन संसद् के अधिनियमित अधिनियमों द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया है ।

2. तमिलनाडु राज्य सरकार ने सात जातियों को, जो उक्त सूची में पृथक् जातियों के रूप में नीचे दिए अनुसार इस समय विद्यमान है, को समूहित करने के माध्यम से अनुसूचित जातियों की सूची में कतिपय उपांतरणों का प्रस्ताव किया है :

"देवेन्द्रकुला वेलालर [देवेन्द्रकुलथन, कडइयन, (तिरुनेलवेली, तूतुकुड़ी, रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई, तंजावूर, तिरुवारुर और नागपट्टीनम जिलों के तट्टवर्ती क्षेत्रों को छोड़कर), कल्लादि, कुडुम्बन, पल्लन, पन्नाडी, वातिरैयान्]"; और

"कडइयन (तिरुनेलवेली, तूतुकुड़ी, रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई, तंजावूर, तिरुवारुर और नागपट्टीनम जिलों में)"।

3. पूर्ववर्णित समूहीकरण को ध्यान में रखते हुए उक्त सूची में से निरर्थक प्रविष्टियों को परिणामस्वरूप लोप करने का भी प्रस्ताव है ।

4. भारत के महारजिस्ट्रार ने प्रस्तावित उपांतरणों पर अपनी सहमति से संसूचित किया है ।

5. पूर्वोक्त परितर्वनों को प्रभावी करने के लिए तमिलनाडु राज्य के संबंध में संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 को संशोधित करना आवश्यक है ।

6. विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
11 फरवरी, 2021

थावर चंद गेहलोत

उपाबंध

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 (सं0 आ0 19) से उद्धरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने सम्पृक्त राज्यों के राज्यपालों और राजप्रमुखों से परामर्श करने के पश्चात् अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :---

* * * * *

भाग 16---तमिलनाडु

* * * * *

17. देवेन्द्रकुलथन

* * * * *

26. कडइयन

* * * * *

28. कल्लादि

* * * * *

35. कुडुम्बन

* * * * *

49. पल्लन

* * * * *

54. पन्नाड़ी

* * * * *

72. वातिरैयान्

* * * * *